


04-9-2023

पत्रावली पेशा हुई। अपीलार्थिगण के वकील उपस्थित। प्रत्यर्षी सं. 1 से 8, 10 व 13 के वकील उपस्थित। अपीलार्थिगण के वकील ने अपीलार्थिगण द्वारा इस अपील प्रकरण को आगे-चलाना नहीं चाहने से Not Press किया है। अतः अपीलार्थिगण की यह अपील Not Press करने से खारिज की जाती है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली केसल सुमार होकर नंबर से कम है।

  
जति. जिला कलेक्टर  
सिरोही (राज.)

Not Press  
M  
5/9/23  
Madenburl  
adhu  
Aplent

  
-Amr

